Kind Attn: - Owner

अनुबन्ध

बायो–मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं ट्रीटमेन्ट हेतु

"कामन ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी" स्थापना

जयपुर व आस–पास का क्षेत्र

स्थान

ग्राम – खोरी–रोपाड़ा, जयपुर

(जयपुर–आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर)

अनुबन्ध मध्य पक्षकारान्

1. जयपुर नगर निगम
(जयपुर म्यूनिसियल कार्पोरेशन)
लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान

एवं

2. इन्सट्रोमेडिक्स (इण्डिया) प्रा0लि0
प्रगति चैम्बर्स
रणजीत नगर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स
नई दिल्ली – 110008

जयपुर नगर निगम, जयपुर

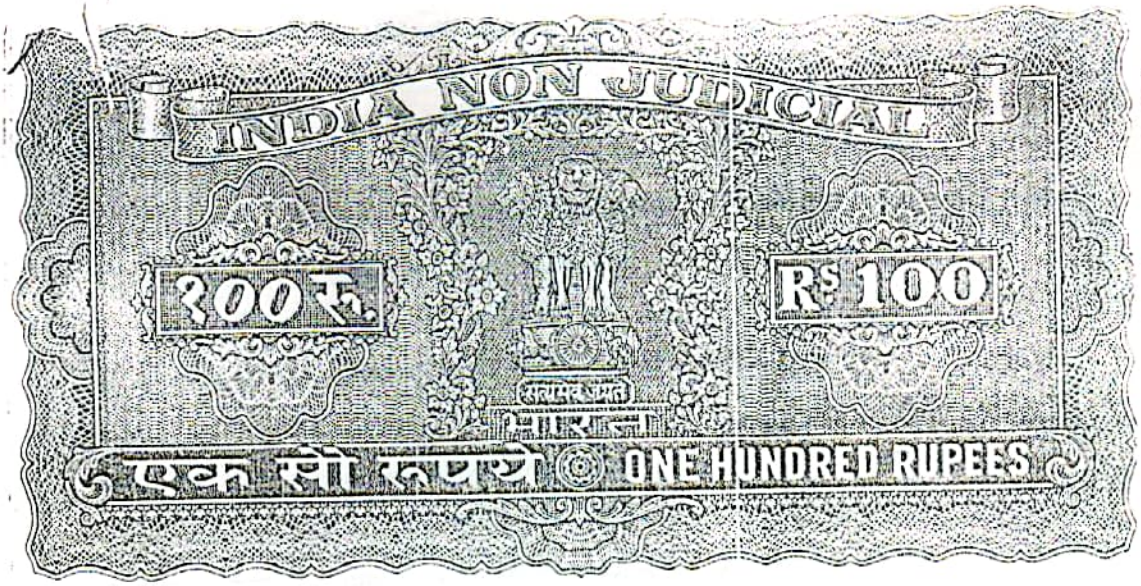

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.　Rs 100

सत्यमेव जयते
भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

इकरारनामा

1. यह इकरारनामा आज दिनांक तेरह...... सितम्बर दो हजार एक (13.09.2001) को नगर निगम जयपुर, जरिये महापौर नगर निगम, जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम आयुक्त नगर निगम, जयपुर, लालकोठी टोंक रोड, जयपुर (बहक प्रथम पक्ष)

एवं

मैसर्स इन्सट्रोमेडिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हाले ए–5 व ए–6 प्रगति चैम्बर्स, रणजीत नगर, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली (बिल्ट–ओन–ओपरेट ट्रांसफर आपरेटर) जिसे संक्षिप्तता के लिए 'बूट आपरेटर' शब्द से संबोधित किया जावेगा के मध्य तहरीर व तकमील किया जा रहा है जिससे दोनों पक्ष व उनके अधिकारी तथा कर्मचारी भी पाबन्द रहेंगे ।

2. जो कि, विलेख में प्रयुक्त सभी शब्द एवं शब्दावलियां पूर्व में कॉन्ट्रेक्ट में व उससे सम्बन्धित दस्तावेजों में प्रयोग में लाई गई के समानार्थी होंगी ।

जो कि सभी निम्न दस्तावेज इस विलेख/इकरारनामे के अंग पढे, समझे व माने जावेंगे ।

(a) लेटर ऑफ इन्टेन्ट क्रमांक PA/CEO/2001/598 दिनांक 08.08.2001
(b) टेन्डर/बिड डाक्युमेंट (सभी शर्तों सहित)
(c) वित्तीय निविदा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम जयपुर

महापौर नगर निगम, जयपुर

(d) प्रोजेक्ट रिपोर्ट--फार सैटिंग अप कोमन ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी फार ट्रीटमेन्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एट जयपुर (कन्सोर्टियम ऑफ एन.जी.ओ.)

(e) कुल प्रोजेक्ट लागत के तीन प्रतिशत या कम से कम रूपये दस लाख की अधिकृत बैंक के माध्यम से "कार्य निष्पादन प्रतिभूति" (परफोरमेन्स गारन्टी) – जिसकी रिन्यू कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं द्वितीय पक्ष की होगी अन्यथा इकरारनामा स्वतः समाप्त होकर फीस सग्रहणीकरण (L.O.I. अनुसार) की अधिकृतीकरण शक्तियां द्वितीय पक्ष की समाप्त हो जावेगी ।

4. जो कि नगर निगम जयपुर एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका उद्देश्य जयपुर शहर को स्वच्छ रखना है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 के आधार पर जयपुर शहर में नगर निगम की परिसीमा में आने वाले समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थागत अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, लेबोरेट्री व पशु चिकित्सालय में निकलने वाले अपशिष्ट (जो कि अस्पतालों के आस पास ही फैंक दिया जाता है, जिससे कीटाणु उत्पन्न होकर बीमारी होने का अन्देशा रहता है) को एक निश्चित स्थान पर सुविधाजनक परिवहन से ले जाकर नष्ट करने से कार्य हेतु पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत इकरारनामा निम्न शर्तो के तहत लिखा जा रहा हैं :–

4.1 बूट ऑपरेटर – नगर निगम जयपुर की अधिकृत समिति (Empowered Committee) द्वारा मैसर्स इन्स्ट्रोमेडिक्स इण्डिया लिमिटेड का चयन बूट ऑपरेटर के रूप मे किया गया है जो कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विज्ञप्ति दिनांक 20 जुलाई 1998 के बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंण्डलिंग) रूल्स 1998 के अधीन संतोषप्रद कार्य करने हेतु सक्षम है । ऐसी पार्टी की विस्तृत व्याख्या नगर निगम द्वारा जारी "प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कामन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट" के मद सख्या 8.5 में की गई है, जो कि इस विलेख का अंग है । इस प्रसंग में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 के नियम व उप नियम लागू होंगे ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
जयपुर नगर निगम

4.2 कन्सेशन (रियायत) – नगर निगम द्वारा बूट ऑपरेटर को एक (1) एकड़ भूमि कामन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी/प्लान्ट (सी.टी.एफ.) स्थापित करने हेतु तथा इसके अलावा लगती हुई 3 एकड़ भूमि प्लान्ट से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल" (आर.एस.पी.सी.बी.) के मापदण्डों के अनुसार नगर निगम द्वारा गया थोडी कारवाई हस्तक्षेप

महापौर
नगर निगम, जयपुर

सांगानेर जिला जयपुर में उपलब्ध कराई गयी है । परन्तु इस भूमि के रख–रखाव की जिम्मेदारी बूट ऑपरेटर की होगी। यह भूमि न्यूनतम दस वर्ष की लीज पर दी गयी है जो की कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बूट ऑपरेटर व नगर निगम की आपसी सहमति से अधिकतम 30 वर्ष तक विभिन्न चरणों मे बढाई जा सकेगी । परन्तु प्रथम चरण में इसकी न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होगी ।

4.3 **बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स** – बूट ऑपरेटर को उक्त कचरे को विभिन्न संस्थानों से एकत्र करने, परिवहन करने सी.टी.एफ. को लगाने व चलाने तथा उससे निकलने वाले कचरे को निस्तारण हेतु बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 की पूर्ण पालना करनी होगी । इस संबंध मे बूट ऑपरेटर को आर.एस.पी.सी.बी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की भी पूर्ण पालना करनी होगी ।

4.4 **कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी** – कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी, नगर निगम, जयपुर द्वारा जारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पेज संख्या–11 के मद संख्या 6.3 के अनुसार होगी जो कि इस विलेख का एक अंग है । इस प्रसंग में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 के नियम व उपनियम लागू होंगे ।

4.5 **धरोहर राशि** – सफल बूट ऑपरेटर को धरोहर राशि के रूप में रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार) का एक बैंक ड्राफ्ट,/ बैंक गारंटी आदेश प्राप्त होने से पहले देनी है जो कि बूट आपरेटर द्वारा केनरा बैंक जनपथ, नई दिल्ली के संख्या 342/2001 दिनांक 24 अगस्त 2001 द्वारा जयपुर नगर निगम में जमा करा दी गई है । इस इकरारनामे के अन्य बिन्दुओं में अंकित शास्तियों की राशि, इस धरोहर राशि में से कटौती कर ली जाने पर धरोहर राशि को पुनः बरकरार रखना होगा अर्थात् धरोहर राशि हमेशा रूपये 25,000/– ही जमा रखनी होगी ।

4.6 **परफोरमेन्स गारंटी** – बूट ऑपरेटर को सी.टी.एफ. प्लान्ट की लागत का 3 प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम 10 लाख रूपये की राशि अधिकृत बैंक के माध्यम से "कार्य निष्पादन प्रत्याभूति" (परफोरमेन्स गारंटी) के रूप में देनी होगी इस प्रत्याभूति का मसौदा निगम द्वारा एक पृथक से स्वीकृत किया जावेगा तथा यह प्रति वर्ष रिन्यू की जावेगी ।

उप कार्यकारी अधिकारी एवं उपायुक्त
जयपुर नगर निगम

INSTROMEDIX (India) Pvt. Ltd.

महापौर
नगर निगम, जयपुर।

5. बूट ऑपरेटर को नगर निगम द्वारा बूट ऑपरेटर [illegible] की आवश्यकतानुसार एक (1) एकड़ भूमि 1/– रुपया प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से लीज पर दी जावेगी जिसका स्वामित्व नगर निगम में निहित रहेगा, भूमि का अन्य कोई भी उपयोग करने हेतु बूट ऑपरेटर अधिकृत नहीं होगा । इसके अलावा उससे लगती हुई करीब 3 एकड (तीन एकड) लैडफिल करने हेतु भूमि और दी जावेगी । इस पर बूट ऑपरेटर कोई निर्माण नहीं कर सकेगा परन्तु इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी बूट ऑपरेटर की होगी । स्वीकृत लीज की अवधि के पश्चात् समस्त जमीन नगर निगम में स्वतः निहित हो जायेगी ।

6. बूट ऑपरेटर को नगर निगम के पत्र क्रमांक PA/CED/2001/589 दिनाक 8.8.2001 के द्वारा लैटर ऑफ इन्टेन्ट (L.O.I.) जारी किया जा चुका है जो कि इस अनुबन्ध का भाग होगा । बूट ऑपरेटर को भूमि आवंटित किये जाने के बाद पूर्वावधि से अन्दर–अन्दर सी.टी.एफ. प्लान्ट सभी मापदण्डो की पालना करते हुए लगाना तथा चालू करना होगा । जयपुर शहर व नगर निगम परिसीमा में स्थित सरकारी–गैरसरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालयों व अन्य संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं से बायो मेडिकल वेस्ट (अपशिष्ट) बूट ऑपरेटर द्वारा निर्धारित नियमों की पालन करते हुए उठाया तथा निस्तारित किया जावेगा । इस हेतु बूट ऑपरेटर को अधिकार होगा कि वह इन अस्पतालों, नर्सिंग होम, संस्थाओं से अलग से एग्रीमेन्ट कर शर्ते निर्धारित कर सकेगा एवं निगम द्वारा स्वीकृत शुल्क वसूल कर सकेगा । बूट ऑपरेटर उपरोक्त 1998 के नियमों के अनुसार विशेष प्रकार के परिवहन द्वारा अपशिष्ट को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाया जावेगा तथा उसका निस्तारण आधुनिक उपचार अनुसार करना होगा । उसे इसमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परिवहन में ना तो आम जन को परेशानी हो और ना ही प्रदूषण पैदा हो । "कोमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी" प्लान्ट नगर निगम व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नियमों के तहत स्वीकृत अवधि तक निरन्तर चलता रहेगा ।

7. सी.टी.एफ. परिवहन व्यवस्था एवं संस्थानों में अस्पताल अपशिष्ट रखने तथा बूट ऑपरेटर को उपलब्ध कराने के कार्यो को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं नगर निगम द्वारा निरीक्षण एवं कार्यवाही का अधिकार –

बायो मेडिकल वेस्ट नियम 1998 में तथा अन्य कानूनों मे प्राप्त अधिकारों के अनुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उपरोक्त समस्त कार्यो का समय–समय पर निरीक्षण करने का, निरीक्षण में पाई गई खामियों को दूर करने हेतु निर्देश देने का तथा अन्य कानूनी कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त
जयपुर नगर निगम

महापौर
नगर निगम, जयपुर।

नगर निगम द्वारा भी इन कार्यो के निरीक्षण की व्यवस्था की जावेगी तथा निरीक्षण में पाई गई खामियों को दूर करने के निर्देश दिये जावेंगे । इन निर्देशों की पालना न करने पर नगर निगम बूट ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा तथा उसकी अनुपालना न होने पर जन स्वास्थ्य के हित में निम्नलिखित कार्यवाही करने का अधिकारी होगा :-

7.1 बूट ऑपरेटर के द्वारा रख-रखाव हेतु पूर्व सूचना देकर केवल इतने काल से कम समय के लिये प्लान्ट को बंद-किया जा सकेगा ताकि अपशिष्ट के निस्तारण के कार्य में विशेष बाधा उत्पन्न न हो । इससे अधिक समय तक बंद रखने की परिस्थिति में निगम द्वारा 1000/-रू0 प्रतिदिन पेनेल्टी, पुनः चालू होने की तिथि तक लागू की जा सकेगी ।

7.2 इसी प्रकार सम्पूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये निश्चित अवधि में कार्यवाही नहीं करने पर बूट ऑपरेटर पर 1000/-रू0 प्रतिदिन की पेनेल्टी लगाई जा सकेगी ।

7.3 बूट ऑपरेटर द्वारा पेनल्टी की राशि नहीं देने पर उक्त राशि की वसूली धरोहर राशि मे से तथा बूट ऑपरेटर द्वारा दी गयी परफोरमेन्स गारंटी राशि में से वसूल की जा सकेगी ।

8. रियायती इकरारनामे का निरस्तीकरण (टरमिनेशन ऑफ दी कन्शेसन एग्रीमेन्ट) -

इस समझौते का निरस्तीकरण निम्नलिखित स्थितियों में प्रभावी होगा तथा उसकी व्यवस्था नीचे निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा -

8.1 समझौते की अवधि समाप्ति पर तथा अन्य कोई व्यवस्था पर समझौता न होने पर, बूट ऑपरेटर द्वारा लगाई गई समस्त प्लांट एवं मशीनरी को हटाने के लिये 3 माह का समय दिया जावेगा, विशिष्ट परिस्थितियों मे निगम द्वारा इस अवधि को घटाया/बढ़ाया जा सकेगा ।

8.2 बूट ऑपरेटर द्वारा समझौते के अनुसार कार्यवाही न करने पर, कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समझौते को निरस्त करने का निगम को अधिकार होगा । उक्त आदेश जारी होने के 3 माह के अन्दर बूट ऑपरेटर उसके द्वारा स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को हटाने के लिये बाध्य होगा । लेकिन अन्य आधार भूत ढाँचा जैसे भूमि, मार्ग

अथवा इस प्रकार के अन्य विकास कार्य नहीं हटाये जावेंगे । आवश्यक परिस्थितियों में निगम इस अवधि को बढ़ा सकेगा ।

8.3 समझौते के निर्धारित अवधि के पूर्व यदि निगम द्वारा अन्य किसी भी कारण से, जो कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 8.2 मे शामिल नहीं है, यदि समझौते को समाप्त किया जाता है, तो निगम को बूट ऑपरेटर को आर्थिक मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा समझौते की अवधि मे रहे शेष रही अवधि के लिये औसत मासिक आय की दर से निर्धारित किया जावेगा ।

8.4 औसत मासिक आय इस आदेश की अवधि के पूर्व के 4 माह की वास्तविक आय के आधार पर की जावेगी । इस परिस्थिति में भी बूट ऑपरेटर को उसके द्वारा लगाई गये प्लांट एवं मशीनरी को हटाने का पूर्ण अवसर दिया जावेगा ।

इन सभी परिस्थितियों में बायो मेडिकल वेस्ट नियम 1998 के प्रावधानो का पूर्ण रूप से पालन किया जावेगा ।

9. आइडेन्टीफिकेशन, अलोकेशन और मैजमेन्टमेन्ट ऑफ रिस्क – नगर निगम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पेज नम्बर 19 से 21 पर मद संख्या 9.1, 9.2, 9.3 मे वर्णित बिन्दुओं, उप बिन्दुओं में पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है तथा "प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कामन ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट" के इन मदों को इस विलेख का अंग माना जावेगा । इसमें भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 के नियम व उपनियम लागू होंगे ।

10. **फेसेलिटी प्रोवाइडेड बाई जे.एम.सी. –**

10.1 सुविधाओं के लिए नगर निगम द्वारा एक (1) एकड भूमि बूट ऑपरेटर को सी.टी.एफ. हेतु उपलब्ध कराई जावेगी व उक्त जमीन से लगती हुई 3 एकड़ (तन एकड़) भूमि प्लान्ट से निकले कचरे के निस्तारण हेतु उपलब्ध कराई जावेगी तथा प्लान्ट के गन्तव्य स्थान पर पहुंच हेतु सुगम सड़क मार्ग एवं प्लान्ट तक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जावेगी । वहां भी प्लान्ट हेतु विद्युत संबंध प्राप्त करना, उसका रख–रखाव तथा शुल्क का भुगतान बूट ऑपरेटर को करना होगा ।

10.2 संस्थानों द्वारा इस समझौते के अन्तर्गत बूट ऑप[illegible] पर – जयपुर नगर निगम सीमा में कार्यरत सरकारी– गैरसरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सालयों व अन्य संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं द्वारा निर्धारित अवधि तक व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में अनिवार्य रूप से नियमानुसार शुल्क जमा कराकर पंजीकृत कराना होगा एवम् यदि बूट ऑपरेटर को उनके द्वारा सहयोग नही किया जावेगा तो निगम उन संस्थानों की सूचना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा । इसके अतिरिक्त जयपुर नगर निगम पूर्व सूचना के बाद उन संस्थाओं से कचरा भी नही उठायेगा और साथ ही निगम के नियमों के अन्तर्गत गन्दगी फैलाने एव न्यूसेन्स उत्पन्न करने पर कार्यवाही भी की जावेगी ।

11. **रोल ऑफ बूट ऑपरेटर** – बूट ऑपरेटर के कर्तव्यों की व्याख्या नगर निगम द्वारा जारी "प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट" की नियमावली के पेज नम्बर 16 के मद संख्या 8.5 में की गई है, जो कि इस विलेख का एक अंग है ।

12. स्टेयरिंग कमेटी :– सयंत्र के पूर्ण रूप से चालू होने के पश्चात् समय–समय पर सयंत्र (प्लांट) के संचालन एवं निगरानी के लिए स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है । यह माननीय महापौर महोदय, नगर निगम, जयपुर की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की होगी जो इस प्लान्ट का समय–समय पर निरीक्षण कर बूट ऑपरेटर को निर्देशित करेगी । समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम .... सदस्य
2. प्राचार्य / अधीक्षक, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर .... सदस्य
3. अध्यक्ष, प्राईवेट अस्पताल एवं नर्सिंग होम संस्था, जयपुर अथवा प्रतिनिधि .... सदस्य
4. वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर नगर निगम .... सदस्य
5. अधीक्षण अभियंता, जयपुर नगर निगम .... सदस्य
6. अध्यक्ष, मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स सोसायटी, जयपुर .... सदस्य

13. होल्डिंग ऑफ सेमीनार एण्ड ट्रेनिंग फेसेलिटी – नगर निगम द्वारा जारी "प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट" के पेज संख्या 25 व 26 के मद संख्या 13 के अन्तर्गत पूर्ण व्याख्या की गई है । "प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी

फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' इस विलेख का अंग माना जावेगा तथा इसमें भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 के नियम व उपनियम लागू होंगे ।

14. **ट्रांसपोरटेशन, एरेन्जमेन्टस् फोर बायो मेडिकल वेस्ट** – परिवहन के सम्बन्ध में ''प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' के पेज संख्या 8 के मद संख्या 4.9 व पेज संख्या 24 व 25 के मद संख्या 12 की पालना करनी होगी तथा ''प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' इस विलेख का अंग माना जावेगा ।

15. **टेक्नोलॉजी** -- अस्पताल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु टेक्नोलोजी के सम्बन्ध में ''प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' के पेज संख्या 8 से 11 पर मद संख्या 5, 6 में वर्णित नियमों के अनुसार बूट ऑपरेटर को पालना करनी होगी तथा समस्त कार्यवाही भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नोटिफिकेशन 20 जुलाई 1998 के अनुसार करनी होगी जो इस विलेख का एक अंग माना जावेगा । बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में प्रयुक्त तकनीक का पर्यावरण पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तथा वह आधुनिक मापदण्डों के अनुकूल होनी चाहिए ।

16. बूट ऑपरेटर अन्य एग्रीमेन्ट निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, लेबोरेटरीज, सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, पशु चिकित्सालयों से कर सकेगा । इस सम्बन्ध में ''प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' के पेज संख्या 14 के मद संख्या 8.2 में व्याख्या की गई है, इसके अनुसार पालना करनी होगी । ''प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' इस विलेख का अंग माना जावेगा।

17. बूट ऑपरेटर द्वारा किसी भी शर्त व ''प्रोजेक्ट रिपोर्ट फोर सेटिंग अप ए कॉमन ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी फोर ट्रीटमेन्ट ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट'' मे दर्ज बिन्दुओं तथा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति 20 जुलाई 1998 बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 1998 के अंतर्गत किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जावेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का आर.एस.पी.सी.बी. नगर निगम व सम्बन्धित गठित कमेटी को पूर्ण अधिकार होगा ।

18 यह कि, द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सयंत्र 15/12/2001 तक पूर्णरूपेण स्थापित कर चालू किया जावेगा व प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निर्धारित शर्तों अनुसार देय सुविधाऐं प्रदत्त की जावेगी ।

अतः यह इकरारनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हित में अपनी राजी खुशी की अवस्था में, बिना किसी उज्र व दबाव के अपनी स्वस्थचित्त स्थिर बुद्धि में 100/--रूपये (सौ रूपये) के स्टाम्प व .... पाई. पेपर पर टाईप करवाकर समस्त इबारत की अच्छी तरह से पढ़, सुनकर व समझकर रूबरू गवाहान अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित करा दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे । इति

दिनांकः

13/12/2001

(1) महापौर, जयपुर नगर निगम

महापौर, नगर निगम, जयपुर

हस्ताक्षर बूट ऑपरेटर
मैसर्स इन्स्ट्रोमेडिक्स (इण्डिया) प्रा०लि०

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जयपुर नगर निगम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जयपुर नगर निगम

गवाहः (प्रथम)
VARGESH SAXENA
Instromedix (I) Pvt Ltd
C2/40A, Lawrence Rd
Delhi 110035

गवाहः (प्रथम)
(ओमेन्द्र नारायण शर्मा)
JEN नगर निगम जयपुर
B-232 कीर्तिनगर टोंक रोड जयपुर-15

गवाहः (द्वितीय)
Royal Furniture House Jaipur
Shop No-13 Jawahar Market Nagarpura
Jaipur

गवाहः (द्वितीय)